राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान

जयपुर–302017

दिनांक : 14.5.2019

क्रमांक: एफ.6(1)(9)/टी एण्ड पी/रीपा/2019–20/ 4969

कार्यालय आदेश

संस्थान के समसंख्यक आदेश क्रमांक एफ.2(1)(बी)रीपा/योजना/2004–2005/19089–102 दिनांक 29 नवम्वर 2016 के अतिक्रमण में संस्थान के बजट मद 2070 के उप मद फर्म प्रशिक्षण (Firm Training) में व्यय आहरित करने हेतु दिशा–निर्देश एतद् द्वारा जारी किए जाते हैः–

1. समस्त राज्य सेवाओं एवं राजस्थन अधीनस्थ लेखा सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा नियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले आधारभूत प्रशिक्षण अवधि के वेतन, भत्ते, यात्रा एवं चिकित्सा पुनर्भरण आदि पर होने वाला व्यय।
2. आकस्मिक व्यय (Contingent Expenditure)

2.1 फर्म प्रशिक्षण से स्वीकृत मानकों के अनुसार सभी श्रेणी के अधिकारियों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु किये जाने वाला व्यय।

2.2 रीपा के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमंत्रित अतिथि वक्ताओं को देय मानदेय भुगतान की निर्धारित राशि पर व्यय।

2.3 राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षणार्थियों को वर्किंग लंच एवं चाय–बिस्किट/स्वल्पाहार की राशि। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान पाठ्यक्रम टीम (अधिकतम 3) का वर्किंग लंच/चाय–बिस्किट/स्वल्पाहार का व्यय।(दो सप्ताह से अधिक के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लंच पर होने वाला व्यय स्वयं प्रशिक्षणार्थी द्वारा ही देय होगा)

2.4 आधारभूत, संस्थागत एवं रीपा के अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, जहां फील्ड विजिट पर होने वाला व्यय तथा प्रशिक्षण से संबंधित ट्रेनिंग व्यय।

2.5 प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाला ट्रेनिंग किट जिसमें क्लॉथ फोल्डर/प्लास्टिक बटन फोल्डर, पेन, डायरी सम्मिलित है, पर होने वाला व्यय।

2.6 संस्थान/अतिथि वक्ताओं द्वारा दी जाने वाली पाठ्य सामग्री के फोटोस्टेट/स्केनिंग, बाइण्डिंग तथा प्रशिक्षण उपकरणों के क्रय अथवा किराये पर किया गया व्यय।

2.7 वार्षिक ट्रेनिंग कलेण्डर हेतु स्टेशनरी एवं मुद्रण पर व्यय।

2.8 संस्थान द्वारा प्रकाशित प्रशिक्षण हेतु विभिन्न मोनोग्राफ पर होने वाला व्यय।

2.9 विभिन्न परियोजनाओं के तहत् मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के लिये आवश्यकता–आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल (Need-based Training Module) की तैयारी एवं प्रशिक्षण से संबंधित अध्ययन सामग्री के लेखन व प्रकाशन से संबंधित व्यय।

2.10 राज्य सेवा एवं अधीनस्थ सेवा के आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में पेन ड्राईव, लेपटोप बेग, पानी की बोटल पर होने वाला व्यय। शैक्षणिक प्रकृति की विडियो फिल्म, लघु फिल्म अथवा डी.वी.डी. पर व्यय। कौशल विकास के कार्यक्रम यथा ड्राईविंग, सेफ्टी एवं रेस्क्यू गतिविधि, आपदा प्रबन्धन के उपकरण आदि पर व्यय।

2.11 राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय सेमीनार/प्रशिक्षण/कार्यशाला के आयोजनों पर होने वाला व्यय।

2.12 राज्य सेवा/अधीनस्थ सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों हेतु आयोजित आधारभूत/ संस्थागत/ रिफ्रेशर/आगमन/अभिनव/संक्षिप्त आधारभूत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में निदेशक की पूर्व अनुमति से विभिन्न प्रकार के अधिनियमों, नियमावलियों एवं पुस्तकों के वितरण पर होने वाला व्यय।

2.13 राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सभी एवं राज्य स्तर पर चार सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु स्मारिका के प्रकाशन पर व्यय।

2.14 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ/समापन ५र पारितोषिक स्वरूप दिये जाने वाले मोमेन्टों, ट्राफी एवं फोटोग्राफ, फोल्डर पर किया जाने वाला व्यय।

14/5/19

Scanned by CamScanner

2.15 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान आयोजित वृक्षारोपण, पर्वतारोहण, शैक्षणिक भ्रमण व खेलकूद सामग्री पर साहित्यिक गतिविधियों, श्रमदान उपकरण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि पर होने वाला व्यय।

2.16 महानिदेशक/निदेशक की पूर्व अनुमति से विशेष व्याख्यान कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिथि वक्ताओं को दिये जाने वाला विशेष मानदेय, यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय।

2.17 रीपा जयपुर एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर आधारभूत/संस्थानिक प्रशिक्षण के उद्घाटन समारोह, औपचारिक समापन पर महानिदेशक/निदेशक की ओर से दिये जाने वाले दोपहर के भोजन/रात्रि भोज/अल्पाहार आदि पर होने वाला व्यय।

2.18 राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सेमीनार/सिम्पोजियम/विशेष व्याख्यान एवं प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों से संबंधित व्यय।

2.19 प्रशिक्षणार्थियों को तैराकी का प्रशिक्षण व आवश्यक उपकरणों व सामग्री पर होने वाला व्यय।

2.20 भारत में स्थित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संकाय सदस्यों/अधिकारियों/कर्मचारियों के मनोनयन पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चार्ज किये जाने वाले प्रशिक्षण शुल्क (Course Fee) का भुगतान।

2.21 भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा अन्य मंत्रालय, विभाग एवं अन्य राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों, जिनमें आयोजक संस्थान द्वारा प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है व मनोनीत अधिकारी द्वारा आवास एवं भोजन की राशि देने का प्रावधान है, में भारत सरकार के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित आवास एवं भोजन की राशि तथा नियमानुसार आवागमन की राशि के भुगतान पर व्यय।

किसी वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले राजकीय व्यय में मितव्ययता संबंधी आदेशों में प्रशिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री, विदेश यात्रा, राजकीय यात्रा आदि में प्रतिबन्ध लगा दिया जावें तो उसके लिए अलग से वित्त विभाग से शिथिलता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

उक्त सभी व्यय बजट शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 003-प्रशिक्षण (01) ह.च.मा. रीपा जयपुर (02) फर्म प्रशिक्षण 01-संवेतन, 03-यात्रा भत्ता, 04- चिकित्सा व्यय, 29-प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय (आयोजना भिन्न) से किए जायेंगें।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

14/5/19

(डॉ. भागचन्द बधाल)
संयुक्त शासन सचिव (प्रशिक्षण)
एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

क्रमांकः एफ.6(1)(9)/टी एण्ड पी/रीपा/2019-20/4970-83 दिनांक : 12.5.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाह हेतु प्रेषित है:-

1. सदस्य सचिव, सुशासन केन्द्र, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, ह.च.मा. रीपा परिसर उदयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर
5. रजिस्ट्रार, प्रबन्ध अध्ययन केन्द्र, ह.च.मा. रीपा जयपुर।
6. समस्त संकाय सदस्य, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
7. उप निदेशक (प्रशा.) एवं कार्यालयाध्यक्ष, ह.च.मा. रीपा, जयपुर।
8. आह0 एवं संवितरण अधिकारी, ह.च.मा. रीपा जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, बेबसाईट, ह.च.मा. रीपा जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक, ह.च.मा. रीपा जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

(हरी सिंह मीणा)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

Scanned by CamScanner